Order sheet [Contd]

case No:M.J.C. -49/17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Pleaders
where
necessayry

23-10-17

आवेदिका श्रीमती आरती सहित श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता उप०।

आवेदिका की ओर से दुकान का फोटो तथा दुकान का सामान क्रय करने संबंधी बिल असल व फोटोप्रति प्रस्तुत किए गए। असल के अवलोकन के पश्चात वापिस किए गए। फोटोप्रति स्वहस्ताक्षरित कराई जाकर संलग्न की गई।

प्रकरण को विविध सिविल प्रकरण की पंजी में तथा सी.आई.एस. में विधिवत् दर्ज किया जावे।

आवेदिका के एफ.डी.आर. का समय पूर्व भुगतान के आवेदन पर आवेदिका को सुना गया।

आवेदिका ने व्यक्त किया है कि उसके पित सोनू उर्फ धर्मेन्द्र की सदर बाजार गोहद में जनरल स्टोर की दुकान है। सोनू उर्फ धर्मेन्द्र की मृत्यु के पश्चात आवेदिका उक्त दुकान को चलाती है। दुकान के व्यवसाय को बढ़ाने एवं और सामान लाने के लिए 1,00,000 / —रूपए की राशि की आवयश्यकता है उक्त दुकान से ही आवेदिका तथा उसके बच्चों का भरण पोषण होता है। उक्त आधारों पर 1,00,000 / —रूपए की एफ.डी.आर. का समय पूर्व भुगतान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

मूल क्लेम प्रकरण कमांक 13/15 क्लेम के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदिका के पित की मृत्यु के उक्त प्रकरण में 6,00,000/—रूपए में बीमा कंपनी से राजीनामा हुआ था। जिसमें 1,50,000—1,50,000/—रूपए की एफ.डी. आर. नाबलिंग पुत्री पूर्वी व श्रेया के नाम से उनके बालिंग होने तक के लिए की गई है। 2,00,000/—रूपए की राशि आवेदिका को नकद प्रदान की गई है। 1,00,000/—रूपए की राशि की पांच वर्ष के लिए एफ.डी.आर. की गई है।

प्रस्तुत किए गए फोटो से स्पष्ट है कि दुकान गुरूकृपा जनरल स्टोर के नाम से है जिसे वर्तमान में आवेदिका संचालित कर रही है, जिसके संबंध में सामान क्रय करने संबंधी बिल प्रस्तुत हैं। आवेदिका के पित की मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना में हो चुकी है आवेदिका के समक्ष उसकी दोनों पुत्रियों के भरण पोषण शिक्षा एवं भविष्य में होने वाले खर्चों को देखते हुए उक्त दुकान के लिए राशि प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जिससे कि आवेदिका को समुचित आय प्राप्त होकर अपना व अपनी पुत्रियों का खर्च चला सके। राशि आवेदिका की स्वयं की ही है। दोनों पुत्रियों की 1,50,000—1,50,000/—रूपए की एफ.डी.आर. प्रथक—प्रथक से है। अन्य कोई आय का साधन होना प्रकट नहीं होता है। जहां कि आवेदिका के पित की उक्त दुकान थी और वर्तमान में आवेदिका ने उक्त दुकान चलाया जाना व्यक्त किया है तथा उक्त दुकान का होना प्रकट होता है। तब ऐसी स्थिति में उक्त राशि को आवेदिका को समय पूर्व भुगतान किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन स्वीकार किया गया।

आवेदिका की 1,00,000 / – रूपए की एफ.डी.आर. की संपूर्ण राशि का समय

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
	पूर्व भुगतान किया जावे, इस आशय की टीप एफ.डी.आर. के पृष्ठ भाग पर लगाई जावे। आदेश की सत्यप्रतिलिपि क्लेम प्रकरण कमांक 13/15 में संलग्न की जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।	
ELIA A	(मोहम्मद अजहर) सदस्य द्वितीय मो.दावा दुर्घ.प्राधि.गोहद	

